

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्या: एसटी/एफएस/आई-3(स्कूल/बी)/2016
सेवा में,

दिनांक: अप्रैल, 2021

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

विषय: विद्यालय भवन डिवाइन सैनिक स्कूल, भर्थरा लखमीपुर रोड़, लोहता, वाराणसी में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

संदर्भ: आवेदक के प्रार्थना पत्र दिनांक: 22.04.2021

कृपया आवेदक के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो विद्यालय भवन डिवाइन सैनिक स्कूल, भर्थरा लखमीपुर रोड़, लोहता, वाराणसी में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांक: 28.08.2017 का अवलोकन करें, जो विद्यालय भवन डिवाइन सैनिक स्कूल, भर्थरा लखमीपुर रोड़, लोहता, वाराणसी में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का संयुक्त निरीक्षण कर शर्तों के साथ आख्या उपलब्ध कराया गया है जिसमें अंकित है कि,

अतः उपरोक्तानुसार विद्यालय भवन डिवाइन सैनिक स्कूल, भर्थरा लखमीपुर रोड़, लोहता, वाराणसी में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने तथा प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर प्राप्त पत्र का नवीनीकरण कराये जाने की शर्त पर अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं की क्रियाशीलता का नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, जो निर्गत तिथि से एक वर्ष तक के लिए वैध माना जायेगा।

उपरोक्त किसी भी अग्निशमन व्यवस्था/जीव रक्षा प्रणाली के अकार्यशील होने पर निर्गत अग्निशमन प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या: 1765/छ:-पु0-8-2017-905(34)/2016 दिनांक: 16.02.2018 व मुख्यालय फायर सर्विस उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार समस्त प्रकार की आख्या तीन वर्ष के लिये निर्गत किया जा रहा है।

अतः विद्यालय भवन डिवाइन सैनिक स्कूल, भर्थरा लखमीपुर रोड़, लोहता, वाराणसी में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण आख्या इस शर्त पर निर्गत तिथि से तीन वर्ष के लिए निर्गत किया जाता है कि, आवेदक नियत तिथि के उपरान्त upfireservice.gov.in पर आन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, अग्निशमन सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(अनिमेष सिंह)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
(अनिमेष सिंह)
वाराणसी।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी

प्रतिलिपि:-स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, डिवाइन सैनिक स्कूल, भर्थरा लखमीपुर रोड़, लोहता, वाराणसी।

2. अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्या: एसटी/एफएस/आई-3(स्कूल/बी)/2016
सेवा में,

दिनांक: अप्रैल, 2021

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

विषय: विद्यालय भवन डिवाइन सैनिक स्कूल, भर्थरा लखमीपुर रोड़, लोहता, वाराणसी में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

संदर्भ: आवेदक के प्रार्थना पत्र दिनांक: 22.04.2021

कृपया आवेदक के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो विद्यालय भवन डिवाइन सैनिक स्कूल, भर्थरा लखमीपुर रोड़, लोहता, वाराणसी में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांक: 28.08.2017 का अवलोकन करें, जो विद्यालय भवन डिवाइन सैनिक स्कूल, भर्थरा लखमीपुर रोड़, लोहता, वाराणसी में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का संयुक्त निरीक्षण कर शर्तों के साथ आख्या उपलब्ध कराया गया है जिसमें अंकित है कि,

अतः उपरोक्तानुसार विद्यालय भवन डिवाइन सैनिक स्कूल, भर्थरा लखमीपुर रोड़, लोहता, वाराणसी में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने तथा प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण करारक विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर प्राप्त पत्र का नवीनीकरण कराये जाने की शर्त पर अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं की क्रियाशीलता का नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, जो निर्गत तिथि से एक वर्ष तक के लिए वैध माना जायेगा।

उपरोक्त किसी भी अग्निशमन व्यवस्था/जीव रक्षा प्रणाली के अकार्यशील होने पर निर्गत अग्निशमन प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या: 1765/छ:-पु0-8-2017-905(34)/2016 दिनांक: 16.02.2018 व मुख्यालय फायर सर्विस उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार समस्त प्रकार की आख्या तीन वर्ष के लिये निर्गत किया जा रहा है।

अतः विद्यालय भवन डिवाइन सैनिक स्कूल, भर्थरा लखमीपुर रोड़, लोहता, वाराणसी में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण आख्या इस शर्त पर निर्गत तिथि से तीन वर्ष के लिए निर्गत किया जाता है कि, आवेदक नियत तिथि के उपरान्त upfireservice.gov.in पर आन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, अग्निशमन सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(अनिमेष सिंह)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
मुख्य आरक्षक अधिकारी
वाराणसी।

प्रतिलिपि:-स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, डिवाइन सैनिक स्कूल, भर्थरा लखमीपुर रोड़, लोहता, वाराणसी।

2. अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।